

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

दिनांक 25.05.2021

प्रेस नोट थाना नजीबाबाद

आज दिनांक 25.05.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाना नजीबाबाद के मु0अ0सं0 557/2021 धारा 419/420/465/467/468/471/120बी भादवि के वांछित अभियुक्त नितिन कुमार अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार अग्रवाल नि0 मौ0 सरायमीर कस्बा व थाना नगीना जिला बिजनौर को मुखबिर की सूचना पर चौकी आदर्शनगर के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नितिन कुमार अग्रवाल उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम –

1. नितिन कुमार अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार अग्रवाल नि0 मौ0 सरायमीर कस्बा व थाना नगीना जिला बिजनौर

अपराधिक इतिहास

2. मु0अ0सं0 557/2020 धारा 419/420/465/467/468/471/120बी भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हो0गा0 रामकिशन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



प्रेस नोट थाना नजीबाबाद

आज दिनांक 25.05.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के कुशल दिशा निर्देश तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के कुशल नेतृत्व में व थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धर पकड की कार्यवाही के दौरान थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा ढाली मन्दिर के आगे मालन नदी पुल के पास से एक अभियुक्त आकाश पुत्र बेगराज नि0 ग्राम पूरनपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर को मय 100 ग्राम अवैध चरस के गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 261/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आकाश उपरोक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम –

1. आकाश पुत्र बेगराज नि0 ग्राम पूरनपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर

बरामदगी-

100 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हे0का0 74 नेसर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का0 2051 अजीत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



प्रेस नोट थाना नजीबाबाद

आज दिनांक 25.05.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाना नजीबाबाद के ग्राम मौज्जमपुर तुलसी मे घटित घटना को तत्काल पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2021 धारा 308//324/323/504/506 भादवि कर नामित/वांछित अभियुक्तगण 1.अजीम पुत्र शमीम अहमद 2.फाजिल पुत्र शमीम अहमद नि0गण ग्राम मौज्जमपुर तुलसी थाना नजीबाबाद बिजनौर को कोटद्वार रोड चौगावा फाटके के पास कही जाने की फिराक मे खडे हुये को गिरफ्तार किया गया । जिनको समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम –

1. अजीम पुत्र शमीम अहमद नि0 ग्राम मौज्जमपुर तुलसी थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 2.फाजिल पुत्र शमीम अहमद नि0 ग्राम मौज्जमपुर तुलसी थाना नजीबाबाद बिजनौर

अपराधिक इतिहास

- 2.मु0अ0सं0 258/2021 धारा 308/323/324/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. का0 1885 आलोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का0 2159 आकाश कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर



प्रेस नोट – थाना बढापुर

थाना बढापुर पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम मदपुरी के जंगल में अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण व एक मोटर साईकिल की बरामदगी के सम्बन्ध में

आज दिनांक 25.05.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अवैध कच्ची शराब की रोकथाम व कच्ची शराब का क्रय/विक्रय करने वाले तथा अवैध कच्ची शराब बनाने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय जनपद बिजनौर के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगीना के निर्देशन में थाना बढापुर पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा थाना बढापुर क्षेत्र में ग्राम मदपुरी के जंगल से 600 लीटर अवैध कच्ची शराब व दो ड्रम लोहा , तो पतीली एल्युमिनियम , दो रबर पाईप व शराब बनाने के उपकरण तथा एक मोटर साईकिल मौके पर बरामद की गयी। तथा मौके पर 3000 लीटर लहन नष्ट कराया गया । इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 67/2021 धारा 60(2)/72 बनाम पप्पू आदि दो नफर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण –

- 1 - 600 लीटर अवैध कच्ची शराब
- 2 – पतीली एल्युमिनियम
- 3 – दो ड्रम लोहा
- 4 – एक पाइप रबर व आदि शराब बनाने के उपकरण
- 5 – एक मोटर साईकिल प्लेटिना UP 20 BF 7915

अभियुक्त गण (जो मौके से भाग गये)

- 1.पप्पू पुत्र जहाँगीर नि0 मदपुरी थाना बढापुर जिला बिजनौर
- 2.भजन कौर उर्फ रानू कौर पत्नी अमर सिंह नि0 ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जिला बिजनौर

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण मुरारी सिंह प्रवर्तन दल मुरादाबाद मय आबकारी टीम
- 2.उ0नि0 श्री संजय सिंह मय टीम थाना बढापुर जिला बिजनौर



थाना नहतौर:- आज दिनांक 25.05.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अंकित पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम हीरापुर माली थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर को मु0अ0सं0 115/21 धारा 147/148/149/307 336/188/269/270 आईपीसी 7 सी0एल एक्ट व धारा 3/4 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत तथा मु0अ0सं0 145/21 धारा 4/ 25 आर्म्स एक्ट में एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नूरपुर:- आज दिनांक 25.05.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 1.प्रशान्त पुत्र हरीराज 2.मुन्ने पुत्र नत्थू निवासी गण ग्राम हस्सुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चाँदपुर भेजा गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 25.05.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 1.अभियुक्त सानू पुत्र निसार निवासी सिसौना थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 2.रिफाकत पुत्र रसीद निवासी मंसूर सराय थाना स्योहारा जिला बिजनौर अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर उपजिलाधिकारी महोदय धामपुर के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 25.05.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 1.अभिषेक पुत्र पुष्पेन्द्र नि० बिजवाडा थाना बिलौनी जनपद बागपत उम्र 23 वर्ष 2. सचिन पुत्र राजकुमार नि० तेजलहेडा थाना छपार जनपद मु०नगर सम्बन्धित मु०अ०सं० 312/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०स० 313/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मा० न्यायालय जनपद बिजनौर भेजा गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 1.अंकुर दाहिया पुत्र नौबहार सिंह नि0ग्राम झलरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर (2) मोनू पुत्र मुन्नू नि0ग्राम झलरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0स0 306/2021 धारा 147/148/149/307/34/188/269/270 IPC 7CL Act 51 (b) आपदा प्रबन्धन अधि0 2005, 03 महामारी अधि 1897 व मु0अ0स0 311/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

